

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022024-252044  
CG-DL-E-13022024-252044

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2024/माघ 24, 1945

No. 608]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2024/MAGHA 24, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2024

**का.आ. 639(अ).**—केंद्रीय सरकार, धातुमय खान विनियम, 1961 के विनियम 11 के उप-विनियम (1), उप-विनियम (2), उप-विनियम (3) और उप-विनियम (4) के अनुसरण में तथा तारीख 08 अक्तूबर, 2020 को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 3487 (अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 08 अक्तूबर, 2020 को प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया है, खनन परीक्षा बोर्ड (धातु) का गठन करती है और भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-

- मुख्य निरीक्षक, खान (महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय) - अध्यक्ष, - पदेन
- श्री एम. एम. अब्दुल्लाह, निदेशक (तकनीकी), मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र। - सदस्य
- श्री पंकज कुमार सतीजा प्रबंध निदेशक, मैसर्स टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा। - सदस्य



4. श्री योगेश कुमार शर्मा, - सदस्य  
प्रबंध निदेशक, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड,  
उत्तराखंड।
5. प्रो. डी.पी. मिश्रा, - सदस्य  
खनन इंजीनियरिंग विभाग,  
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स),  
धनबाद, झारखंड।
6. डॉ. जे.के. पांडे, - सदस्य  
मुख्य वैज्ञानिक, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान,  
धनबाद, झारखंड।

[फा. सं. एस-66012/1/2004-आईएसएच.II]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2024

**S.O. 639(E).**—In pursuance of sub-regulations (1), (2), (3) and (4) of regulation 11 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 3487(E), dated the 08th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii), dated the 8th October, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the Board of Mining Examinations (Metal) and appoints the following persons as members of the Board for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely:-

1. Chief Inspector of Mines (Director General, Directorate General of Mines Safety) - Chairman, - *Ex-officio*
2. Shri M M Abdullah, Director (Technical), Manganese Ore (India) Limited, Nagpur, Maharashtra. - Member
3. Shri Pankaj Kumar Satija, Managing Director, M/s Tata Steel Mining Limited, Bhubaneswar, Odisha. - Member
4. Shri Yogesh Kumar Sharma, Managing Director, Almora Magnesite Limited, Uttarakhand. - Member
5. Prof. D.P.Mishra, Department of Mining Engineering, Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, Jharkhand. - Member
6. Dr. J.K.Pandey, Chief Scientist, Central Institute of Mining and Fuel Research, Dhanbad, Jharkhand. - Member.

[F. No. S-66012/1/2004-ISH.II]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.